

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655
फैक्स नं. 07662-241655

ई-मेल - deanmcraewa@rediffmail.com
वेबसाईट - www.ssmcraewa.com

क्रमांक..... / स्था / राज / एमसी / 2023

रीवा, दिनांक.....

// आदेश //

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 20202/स्था/राज/एमसी/विज्ञप्त/2023, रीवा, दिनांक 21.08.2023 के अनुक्रम में दिनांक 12.09.2023 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों में सीनियर रेसीडेंट के पद पर निश्चित मासिक शिष्यावृत्ति रु. 80,811/- (अस्सी हजार आठ सौ ग्यारह रुपए) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	अभ्यर्थी की श्रेणी	चयनित श्रेणी	विभाग
1.	डॉ. सचिन धाकड़, पिता श्री ओमप्रकाश धाकड़ पता:- सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.), 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	कार्डियक सर्जरी विभाग
2.	डॉ. धीरज कैन, पिता श्री गोपी चंद कैन पता:- सम्यक रेजीडेंसी, द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.), 486001	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कार्डियक सर्जरी विभाग
3.	डॉ. शिव शक्ति यादव, पिता श्री मोती लाल यादव पता:- पहली मंजिल, साई बिल्डिंग, अरुण नगर, रीवा (म.प्र.)	अनारक्षित	अनारक्षित	कार्डियक सर्जरी विभाग
4.	डॉ. संदीप कुमार गुप्ता, पिता श्री कन्हैया लाल गुप्ता पता:- ग्राम व पोस्ट सराई, तहसील सराई, जिला सिंगरौली (म.प्र.), 486881	अनारक्षित	अनारक्षित	कार्डियोलॉजी विभाग
5.	डॉ. पृथ्वी राज सी.एस., पिता श्री सुब्बेगोवडा एन. पता:- एफ-3, सरला अपार्टमेंट, ताला हाउस, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनारक्षित	न्यूरोसर्जरी विभाग
6.	डॉ. पदमने सागर गजानन, पिता श्री गजानन पदमने पता:- पी.जी. बॉयज हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनारक्षित	न्यूरोसर्जरी विभाग
7.	डॉ. हृदयेश दीक्षित, पिता श्री कुन्तल दीक्षित पता:- आई-33, फ्लैट नं. 51, दुर्गा निवास अपार्टमेंट, गांधी नगर, ग्वालियर (म.प्र.), 474002	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	न्यूरोसर्जरी विभाग
8.	डॉ. कुमार दीपक, पिता श्री बिपिन कुमार पता:- कमरा नं. 21, पी.जी. बॉयज हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	न्यूरोसर्जरी विभाग

Andra

क्रमशः पेज...02

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	अभ्यर्थी की श्रेणी	चयनित श्रेणी	विभाग
9.	डॉ. देवेश गुप्ता, पिता श्री अनिल कुमार गुप्ता पता:- किरण रेजीडेंसी, द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	न्यूरोसर्जरी विभाग

नियुक्ति की शर्तेः—

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
3. एक वर्ष की टेन्युवर अवधि पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष से संतोषजनक कार्य—व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः 12 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।
4. तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि उपरांत सेवाएं समाप्त हो सकेंगी।
5. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रेक्टिस) करने की अनुमति नहीं होगी।
7. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में एक माह का अग्रिम मानदेय देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
9. इन नियमों अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होंगे तथा निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
10. पेंशन एवं तत्संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति की अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
12. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में इस संस्था में कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व संबंधित संस्था के नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्यागप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3-15/2012/1/3, दिनांक 24.12.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अंदर म.प्र. मेडिकल कार्डिसिल, भोपाल का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा कर दी जावेगी। नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. संरथा की आवश्यकतानुसार स्थाई रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभाग में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
18. कोविड-19 महामारी को देखते हुए आवश्यकतानुसार कोविड-19 वार्ड में विशेषज्ञता/ योग्यतानुसार ड्यूटी लगाई जा सकेगी।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक. 15/9/23

पृ.क्र. 225 87-94 /स्था/राज/एमसी/2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
3. संयुक्त संचालक सह-अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित सीनियर रेसीडेंट की शिष्यावृत्ति का भुगतान मांग संख्या 52-2210705-105-8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय-42 सहायक अनुदान-002, अन्य में विकलनीय होगा।
7. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

Mandawat

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)